

# भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 128]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 24, 2009/श्रावण 2, 1931

No. 128]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 24, 2009/SRAVANA 2, 1931

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2009

सं. एल-7/142/157/2008-सीईआरसी.—केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा, इस निमित्त सभी अन्य सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) विनियम, 2008, जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :—(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2009 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. विनियम 2 का संशोधन :—मूल विनियम के विनियम 2 के खंड (2) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(2) अंतर-राज्यिक पारेषण प्रणाली या उसके तत्वों के टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन के साथ आवेदन में प्रतिवर्ष दावा किए गए कुल पारेषण प्रभारों के 0.05% की दर

पर संदेय फीस संलग्न की जाएगी जिसे एक सौ रूपए के निकटतम पूर्णांकित किया जाएगा तथा जो न्यूनतम 40,000 (केवल चालीस हजार रूपए) के अधीन रहते हुए होगी :

परंतु यह कि पारेषण अनुज्ञप्तिधारी टैरिफ के अवधारण के लिए आवेदन करते समय पहले वर्ष के लिए दावा किए गए वार्षिक पारेषण प्रभारों के 0.05% की दर पर फीस का संदाय कर सकेगा तथा शेष फीस को प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल तक दावा किए गए पारेषण प्रभारों 0.05% की दर पर वार्षिक किस्तों में संदत्त कर सकेगा :

परंतु यह और कि यथापूर्वोक्त संदत्त फीस का अंतिम रूप से समायोजन प्रत्येक वर्ष के लिए आयोग द्वारा अवधारित वास्तविक टैरिफ के साथ किया जा सकेगा।”

3. विनियम 3 का संशोधन :—मूल विनियम के विनियम 3 के खंड (3) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(3) ऐसा आवेदन, जो टैरिफ के अवधारण या उसे अंगीकार करने के लिए आवेदन या विद्युत में अंतर-राज्यिक पारेषण या अंतर-राज्यिक व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान करने हेतु आवेदन या अंतर्वर्ती आवेदन या न्यायिक अभिलेखों के निरीक्षण या उनकी प्रमाणित प्रतियां अभिप्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं हैं किंतु इसमें अनंतिम टैरिफ के अनुमोदन के लिए आवेदन सम्मिलित है, के साथ 40,000 (केवल चालीस हजार रूपए) की फीस संलग्न की जाएगी तथा आयोग द्वारा ऐसे आवेदन को ग्रहण करने पर, आवेदन को ग्रहण करने के

आदेश की संसूचना के दो सप्ताह के भीतर 1,60,000 (केवल एक लाख साठ हजार रुपये) की और फीस संदत्त की जाएगी।”

4. विनियम 4 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 4 के खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1) अंतर-राज्यिक पारेषण के लिए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी जिसमें विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के किसी भी परंतुक के अधीन निर्दिष्ट पारेषण अनुज्ञप्तिधारी समझा जाने वाला व्यक्ति भी सम्मिलित है, उस वर्ष के लिए लागू वार्षिक पारेषण प्रभारों का 0.05% की दर पर अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा जिसे निकटतम एक सौ रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।”

5. विनियम 6 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 6 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“6. विलंब संदाय अधिभार.—किसी अन्य कार्रवाई, जो इन विनियमों के अनुपालन के लिए समुचित समझी जाए, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पुनः असंदत्त अवाधि के लिए प्रत्येक मास के लिए या उसके भाग हेतु बकाया रकम पर एक प्रतिशत (1%) की दर पर विलंब संदाय अधिभार संदत्त किया जाएगा जिसे निकटतम एक सौ रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।”

6. विनियम 7 का संशोधन : मूल विनियम के विनियम 7 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“7. संदाय की पद्धति.—सभी फीस का संदाय जिसमें विलंब संदाय अधिभार भी है, सहायक सचिव, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/संदाय आदेश के माध्यम से किया जाएगा या आयोग के खाते में धन के इलैक्ट्रॉनिक अंतरण द्वारा किया जाएगा :

परंतु यह कि जब संदाय इलैक्ट्रॉनिक अंतरण के माध्यम से किया जाता है तो ऐसे संदाय का आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा।”

आलोक कुमार, सचिव

[विज्ञापन III/4/150/09-असा.]

टिप्पण : मूल विनियम भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग III, खंड 4 में तारीख 17-10-2008 को प्रकाशित किए गए थे।